प्रेषक,

अली रजा,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मऊ।

सेवा में,

महा निबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
मऊ।

विषयः– माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 21.12.2014 को आयोजित सुटेबिलिटी टेस्ट में सम्मिलित न हो पाने के सम्बन्ध में।

आदरणीय महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि मुझे दिनांक 21.12.2014 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा आयोजित सुटेबिलिटी टेस्ट 2014 में सम्मिलित होना था। दिनांक 20.12.2014 को सायंकाल अचानक ठंढ लगने के कारण पेट दर्द, उल्टी, दस्त व बुखार से पीड़ित हो गया तथा दिनांक 22.12.2014 तक अस्वस्थ रहा। बीमार होने के कारण मैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा आयोजित सुटेबिलिटी टेस्ट में दिनांक 21.12.2014 को सम्मिलित नहीं हो सका। माननीय महोदय से सादर यह भी निवेदन है कि इसके पूर्व मैं वर्ष 2012 में माननीय न्यायालय द्वारा आयोजित सुटेबिलिटी टेस्ट में सम्मिलित हुआ था।

अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरी के मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रत्यावेदन को प्रस्तुत करने की कृपा की जाये।

दिनांक 15.01.2015,

सादर,

भवदीय,

(अली रजा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मऊ।

संलग्नकः–
01– चिकित्सकीय प्रमाण पत्र,
02– चिकित्सा सम्बन्धी पर्ची,
03– आकस्मिक अवकाश प्रार्थना पत्र की प्रति,

Office of the District Judge-Mau
Letter No. 107/4(Admin XV Date 16/01/15
Forwarded for information and necessary action.
District Judge
Mau

Digitally signed by Sant Lal Sharma
Date: 2019.11.07 15:35:21 IST
Reason: A.R.(ADMIN-H)
Location: High Court, Allahabad